न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्याः 169/2019

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंण्डिया
शाखाः– बिजयनगर, अजमेर (राज.)।
जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी/सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(1) मैसर्स श्री कृष्णा ट्रासपोर्ट कम्पनी
प्रोपराईटर श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री गोपाल शर्मा
निवासी– प्लाट नं0 14, संजय नगर बरल–।।, बिजयनगर, अजमेर जिला– अजमेर (राज.)।
(2) श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री गोपाल शर्मा
निवासी– प्लाट नं0 14, संजय नगर बरल–।।, बिजयनगर, अजमेर जिला– अजमेर (राज.)।

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री मनोज कुमार ओरिया अधिकृत प्रतिनिधि

आदेश दिनांक 24.10.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण मैसर्स कृष्णा ट्रासपोर्ट कम्पनी व श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री गोपाल शर्मा, निवासी– प्लाट नं0 14, संजय नगर बरल–।।, बिजयनगर, अजमेर, जिला– अजमेर 305001(राज.) को दिनांक 21.12.2016 को रू 10,00,000/–(अक्षरे दस लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर संजय नगर बरल–।।, बिजयनगर, अजमेर, जिला– अजमेर 305001(राज.) के खसरा नं0 620 (पुराना), 758 (नया) में स्थित प्लाट नं0 14, जो श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री गोपाल शर्मा के नाम से है, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 17.05.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 24.05.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 10,34,412/–(अक्षरे रूपये दस लाख चौतीस हजार चार सौ बारह मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी को सुना गया। अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में बंधक सम्पति संजय नगर बरल–।।, बिजयनगर, अजमेर, जिला– अजमेर 305001(राज.) के खसरा नं0 620 (पुराना), 758 (नया) में स्थित प्लाट नं0 14, जो श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री गोपाल शर्मा के नाम से है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 24.10.2019 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner